पारस पावर एण्ड कोल बैनिफिकेषन लिमिटेड

ग्राम	:	घुटकू
तहसील	:	तखतपुर
जिला	:	बिलासपुर (छ.ग.)

की

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

—:: प्रेषित ::—

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

व्यवसायिक परिसर, गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, कबीर नगर, रायपुर (छ॰ग॰)

1. प्रस्तावनाः

पारस पावर एण्ड कोल बैनिफिकेषन लिमिटेड, द्वारा ग्रामः घूटकु तहसीलः तखतपूर, जिलाः बिलासपूर (छ॰ग॰) में 0.96 मि॰टन/वर्ष क्षमता वाली कोल वॉषरी का लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र हेतु 14.63 एकड़ भूमि उद्योग प्रबंधन द्वारा क्रय की गई है। प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत रू 15.00 करोड़ है।

पर्यावरण, वन **और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**, नई दिल्ली के राजपत्र, दिनांक 14 सितंबर 2006 अद्यतन संषोधित के अनुसार कोल वाषरी 1 मि.टन./वर्ष से कम को बी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। माननीय छ॰ग॰ प्रदेष स्तरीय विषेषज्ञ समिति द्वारा पत्र क्र॰ 2605/एस.ई.ए.सी–सी.जी./ई.सी./कोल/ बिलासपूर /235, दिनांकः 30.03.2016 'टर्म्स् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी॰ओ॰आर॰) अनुमोदित किये गये हैं। माननीय प्रदेष स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित टी॰ओ॰आर॰ को समाविष्ट करते हुए यह ई॰आई॰ए॰ रिपोर्ट बनाई गई है।

प्रस्तावित संयंत्र द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत मे॰ पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा॰ लि॰, हैदराबाद, द्वारा छ॰ग॰ प्रदेष स्तरीय विषेषज्ञ समिति, पर्यावरण, वन **और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित 'टर्म्स् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी॰ओ॰आर॰) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैः

ए॰ प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विषिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृष्य।

बी॰ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवषिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।

सी॰ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई॰एम॰पी॰)।

डी॰ परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम।

1.1 कच्चे माल की मात्रा : –

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

क्र॰	कच्चा माल	वार्षिक आवश्यकता	स्त्रोत
1.	कच्चा कोयला (आर॰ओ॰एम॰ कोल)	0.96 मिलियन टन प्रति वर्ष	मुख्यतः एस॰ई॰सी॰एल॰,के कोरबा एरिया से गेवरा दीपका कुसुमुण्डा खदान से लाया जायेगा **(डी॰ओ॰ आधारित)**

1.2 उत्पादन पद्धति : –

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर॰ओ॰एम॰) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34% से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना ग्राहकों की मांग के अनुरूप कम राखड़ वाले कोयले को प्राप्त करने हेतु एक सिक्त प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉषरी है, जिससे शुष्क प्रकार की वाषरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप वाटर सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण पानी पूर्णतः पुर्नचक्रित किया जावेगा तथा दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा एवं शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिष्चित होगा।

प्रस्तावित परियेाजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रषर से तोड़कर पानी, मैग्नेटाइट एवं हवा की मदद से हायड्रोसायक्लोन में साफ किया जाएगा।

1.3 जल कि आवश्यकता : –

प्रस्तावित परियेजना के लिए अनुमानित जल की खपत 495 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉषरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक मेकअप एवं घरेलु जल की आपूर्ति संलंग्न है। अनुमानित जल की पूर्ति भू–जल स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमति हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधीकरण द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। इस आषय में आवेदन किया गया है। श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार हैः–

विवरण	जल की आवष्यकता (घन मीटर प्रतिदिन)			टिप्पणी
	आवष्यकता	खपत ध् हानि	अपशिष्ट जल उत्पादन	
प्रक्रिया	430	430	...	क्लोजड सर्किट प्रक्रिया 100 प्रतिषत जल को उपचारित करेगा
घरेलु	5	1	4	सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट
डस्ट स्प्रेषन, वृक्षारोपण	60	60	...	.....
कुल	**495**	**491**	**...**	**शुन्य प्रवाह उत्सर्जनन**

1.4 दूषित जल उत्सर्जन :

प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड लूप सर्किट का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे औद्योगिक प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। शून्य निस्तारण संकल्प

का परिपालन सुनिष्चित किया जावेगा। परियोजना दूषित जल के रूप में केवल घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसकी कुल मात्रा 4 घन मीटर प्रतिदिन होगी।

विवरण	मात्रा
घरेलू	4.0 घन मीटर प्रतिदिन
कुल	**4.0 घन मीटर प्रतिदिन**

1.5 दूषित जल की गुण्वत्ताः

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विष्लेषण का सारांष निम्नलिखित टेबल में प्रदर्षित हैः

गुण	सांद्रता
पी॰एच॰	7.0 – 8.5
बी॰ओ॰डी॰	200 – 250 मि॰ग्रा॰/ली॰
सी॰ओ॰डी॰	300 – 400 मि॰ग्रा॰/ली॰
टी॰ डी॰एस॰	800 – 900 मि॰ग्रा॰/ली॰

2.0 पर्यावरण का विवरणः

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेषीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु एवं समाजिक–आर्थिक स्थिती के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2.1 परिवेषीय वायु गुणवत्ताः

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मत्रांलय द्वारा जारी निर्देषों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 8 स्टेषनों पर पी॰एम॰$_{2.5}$, पी॰एम॰$_{10}$, एस॰ओ॰$_{2}$, एन॰ओ॰$_{x}$ एवं सी.ओ. हेतु परिवेषीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेषीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार हैः

क्रमांक	विवरण		सांद्रता
1.	पी॰एम॰$_{2.5}$	:	16.7 से 30.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी॰एम॰$_{10}$’	:	28.1 से 62.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर

3.	एस॰ओ॰$_2$	:	7.8 से 18.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन॰ओ॰x	:	8.6 से 20.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5.	सी॰ओ॰	:	360 से 635 माइक्रोग्राम/घन मीटर

"*": पी॰एम॰$_{10}$ का विष्लेषण किया गया जिसमें पॉलि एरोमैटिक हायड्रोकार्बन की मात्रा बी॰डी॰एल॰ है

बी॰डी॰एल॰ **:** Below Detection Level

2.2 जल गुणवत्ता

8 अलग अलग जगहों पर भूजल एवं अन्य सतही जल स्त्रोंतो के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विष्लेषण किया गया। इस विष्लेषण के आधार पर पाया गया कि सभी जगहों पर जल पीने योग्य है; अर्थात सभी नमूने आई॰एस॰: 10500 तथा आई॰एस॰: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये है।

2.3. ध्वनि स्तर

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया । जिसका ध्वनि स्तर 44.6 डी॰बी॰(ए.) से 60.8 डी॰बी॰(ए.) पाया गया है।

3.0 पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वावांकलन तथा रोकथामः

3.1 वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वावांकलनः

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी॰एम॰$_{10}$), सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉमप्लैक्स मॉडल (आई॰एस॰सी॰एस॰टी॰–3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैट्रियोलौजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के वहने की गति एवं दिषा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में अन्य औद्योगिक इकाईयों के उत्सर्जन को भी समावेष किया गया है।

संगणित परिणामो से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों पार्टिकुलेट मैटर (पी०एम०) की सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 0.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमषः हवा बहने कि दिषा में प्रस्तावित स्थल से 480 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी०एम०$_{10}$ की सांद्रता में अधिकतम 0.47 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

अतः कोल वाषरी द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी०एम०$_{10}$ की की सांद्रता में 0.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 0.47 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 0.97 माइक्रोग्राम/घन अधिकतम वृद्धि की संभावना है।

एन०ओ०$_X$ में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 2.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 2.0 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

विवरण	पी.एम.$_{10}$ (µg/m³)	एस०ओ$_2$ (µg/m³)	एन०ओ.$_X$ (µg/m³)	सी.ओ. (µg/m³)
अध्ययन क्षेत्र अधिकतम वास्तविक सांद्रता	62.3	18.9	20.3	635
पारस पावर एण्ड कोल बैनिफिकेषन लिमिटेड के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.97 (0.5 + 0.47)	......	2.7	2.0
संयंत्र के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	**63.27**	**18.9**	**23.0**	**637**
राष्ट्रीय परिवेषी वायु गुणवत्ता के मानक	**100**	**80**	**80**	**2000**

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी॰एम॰$_{10}$), सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता निर्धारित राष्ट्रिय परिवेषीय वायु गुणवत्ता मानकों से कम है अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.2 ध्वनि स्तर पर प्रभावः–

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी॰जी॰ सैट एवं कोल क्रषर इत्यादि होंगे। परवेषीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मत्रांलय कि अधिसूचना दिनाँकः 14.02.2000 ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 में निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 4.9 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

3.3 जल पर्यावरण पर प्रभावः–

प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड सर्किट लूप सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे भविष्य में स्थापित होने वाली कोल वॉषरी द्वारा औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू निस्त्राव इत्यादि होंगे जिनके उपचार हेतु निस्त्राव उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र के लिये जल आहरण हेतु अनुमति हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधीकरण द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। इस आषय में आवेदन किया गया है। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नही होगा।

3.4 भू–पर्यावरण पर प्रभावः–

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानूरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही–सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 4.9 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू–पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.5 सामाजिक– आर्थिक प्रभावः–

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अनेक अवसर बनेगें। जिसके कारण सामाजिक–आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य मे क्षेत्र का विकास होगा।

4.0 पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रमः

परियोजना–उपरांत पर्यावरण, वन **और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**, एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देषानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार हैः

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
1 जल तथा निस्त्राव कि गुणवत्ता				
	जल गुण्वत्ता	मासिक	ग्रॅब नमूने	आई एस : 10500
2 वायु गुण्वत्ता				
a.	स्टैक	ऑन–लाइन मासिक		पी.एम.

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
b.	परवेषीय वायु गुण्वत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी॰एम॰$_{10}$, पी॰एम॰$_{2.5}$, एस.ओ$_2$, एन.ओ. $_x$
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3 शोर मापन				
d.	शोर मापन	मसिक	माह में एकबार (घण्टे के आधार पर)	परवेषीय शोर मापन (पद कठ।)

5.0 अन्य अध्ययनः

परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

6.0 परियोजना के लाभ :

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेगें, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जावेगी।

7.0 पर्यावरण प्रबंधन के उपायः

7.1 वायु पर्यावरणः

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावितत हैः

क्रमांक	इकाई	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	पी॰एम॰ उत्सर्जन
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैषन सिसटम	< 50 मिलिग्राम/घन मी.

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्त्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्त्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू, एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेशन सिसटम लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढंका जाना तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को

बैग फिल्टर युक्त डी–डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जावेगा तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिषानिर्देषों का पालन किया जावेगा।

7.2 जल पर्यावरणः

प्रस्तावित कोल वॉषरी में क्लोज्ड सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वॉषरी से 4.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू निस्त्राव के रूप में दूषित जल उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स बनाए जावेगें। प्रस्तावित कोल वॉषरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

7.3 ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रषर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण, वन **और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधों के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

7.4 भू पर्यावरण :

प्रस्तावित कोल वॉषरी में क्लोज्ड लूप सिस्टम का परिपालन किया जावेगा जिससे कुछ भी औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानूरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही–सही स्थापना एवं

संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। वॉषरी मिड्लिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :

क्र॰	ठोस अपशिष्टों का प्रकार	मात्रा	अपवहन व्यवस्था
1.	वॉषरी रिजैक्ट्स	0.24 मि॰टन/वर्ष	मे॰ जयप्रकाष एसोसिएटस् लिमिटेड को दिया जावेगा।

7.5 ग्रीन बेल्ट :

प्रस्तावित परिसर में लगभग 4.9 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत रू 1.0 करोड़ है।

7.6 क्रैप सिफारिशों का क्रियानवयन :

प्रस्तावित कोल वॉषरी में क्रैप सिफारिशों का सख़्ती से क्रियान्वयन प्रस्तावित है।